International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.340, Volume 03, No. 03(II), July - September, 2021, pp.200-204

समलैंगिक सम्बन्धः समाजशास्त्रीय संदर्भ

योगिता रानी पँवार*

सार

सम्पूर्ण भारतीय समाज स्त्री–पुरूष दो यौन वर्गीकरण में विभाजित हैं। स्त्री–पुरूष के बीच शारीरिक आकर्षण होना आम बात है। महिला–पुरूष एक–दूसरे के पूरक हैं, किन्तु इन दोनों के बीच शारीरिक सम्बन्धों को मान्यता तब मिलती है जब एक पुरुष का विवाह एक स्त्री के साथ होना चाहिए। साथ ही सामाजिक तौर पर उन्हें मान्यता मिले वैश्विक युग में सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक इत्यादि कई क्षेत्रों में परिवर्तन होने लगे हैं। सामाजिक प्रथाएँ, परम्पराएँ, रूढ़ियाँ, रीति–रिवाज, विचारों, व्यवहारों, आदतों, खान–पान के परिवर्तनों के साथ ही लैंगिक उन्मुखीकरण समलैंगिक सम्बन्धों में वृद्धि दिखाई दे रही है। समलैंगिक सम्बन्धों के प्रति आकर्षण भी बढ़ रहा है। लैंगिक उन्मुखीकरण अन्य व्यक्ति के प्रति एक स्थायी, भावनात्मक, रोमांटिक यौन या स्नेही आकर्षण है। इसे जैविक यौन सम्बन्ध, लिंग पहचान सहित लैंगिकता के अन्य पहलूओं से अलग किया जा सकता है। यह भावनाओं, आत्मअवधारणा को संदर्भित करती है। इसलिए यह यौन व्यवहार से भिन्न है। समलैंगिकता हमारे बीच एक सामाजिक समस्या के रूप में प्राचीन काल से विद्यमान रही है, किन्तु भारतीय समाज में इन सम्बन्धों को कभी खुले तौर पर सामाजिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया। एलजीबीटी (गे, लेस्बियन) समुदाय समाज में हीन भावना, पोषण, बुरे व्यवहारों के समाज के तिरस्कारों, अपमानों से ग्रस्त है, किन्तु समलैंगिक सम्बन्ध अपराध नहीं मानवाधिकार, जीवन जीने का एक अधिकार है। यह लेख समलैंगिक सम्बन्धों के ऐसे ही कुछ पक्षों का चित्रण है।

शब्दकोशः *गे, लेस्बियन, लैंगिक उन्मुखीकरण, जैविक यौन सम्बन्ध, एलजीबीटी, यौन वर्गीकरण।*

प्रस्तावना

समान लिंग के व्यक्तियों (पुरूष का पुरूष, स्त्री का स्त्री के साथ लैंगिक सम्बन्ध स्थापित करना। उनके प्रति कामुकतावश आकर्षित होने की प्रवृत्ति को समलैंगिकता कहा जाता है। वैश्विक युग में इस प्रकार के सम्बन्ध को समलैंगिक, पुरूष को **गे (Gay)**, समलैंगिक स्त्री को **लेस्बियन (Lesbian)** कहा जाता है। इसके अतिरिक्त बाईसेक्सुएल, ट्रांसजेन्डर श्रेणियाँ भी पाई जाती हैं। ट्रांसजेन्डर को खोजा, ख्वाजासरा, हिंजड़ा, किन्नर आदि नामों से जाना जाता है। ट्रांसजेन्डर श्रेणियों का तिरस्कार भी अंग्रेजों के समय से होता चला आ रहा है। **(मुंशी 2010)**।[1] भारतीय समाज में सामाजिकरण की प्रक्रिया में स्त्री–पुरूष के व्यवहारों, सम्बन्धों, रिश्तों को ही समाज में मान्यता दी जाती है। ऐसे में इस समुदाय का व्यवहार समाज में स्वतः ही अव्यवहारिक हो जाता है। आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक स्थितियाँ ट्रांसजेन्डर श्रेणियों को नर्कपूर्ण जीवन जीने पर मजबूर करती है **(लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी 2015)**।[2] सेक्स, जेन्डर दो भिन्न अवधारणा है। जेन्डर शब्द का प्रयोग पुरूषोचित्त (मैस्क्युलिन), स्त्रियोचित्त (फैमिनिन) की सामाजिक रूप से निर्मित कोटियों के लिए किया जाता है। सेक्स का तात्पर्य पुरूष, स्त्रियों का जैविकिए विभाजन है। जेन्डर का अर्थ स्त्रीत्व, पुरूषत्व के रूप में समानान्तर, और सामाजिक रूप से असमान विभाजन से है **(अन्नओकले 1917)**।[3] आधुनिकता एवं कामुकता के मध्य सम्बन्धों की व्याख्या की हमारा आधुनिक

---

6 सहायक आचार्य, समाजशास्त्र विभाग, सेंट विल्फ्रेड पी.जी. कॉलेज, जयपुर, राजस्थान।

संस्थाओं (मासमीडिया) का जो ज्ञान है वह एक ऐसी कामुकता की ओर ले जा रहा है जहां व्यक्ति अपनी स्वयं की पहचान बनाने में जुटा है। अब कामुकता के सम्बन्ध प्रजनन से नहीं है व्यक्ति चाहता है उसकी अलग पहचान हो एन्थोनी गिडेन्स ने इसे प्लास्टिक कामुकता कहा **(एन्थोनी गिडेन्स 2001)**।[4] कामवृत्तियाँ मनुष्य के समस्त व्यवहारों को संचालित करने वाली होती है। इन कामवृत्ति (Sex Instincts) के आधार पर बताया कि आडिपस कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के रूप में माता–पुत्र, पिता–पुत्री के बीच यौन आकर्षण पाया जाता है और माता–पिता के सम्बन्धों पर बच्चों को ईर्ष्या होने लगती है। समलैंगिकता को फ्रायड ने बीमारी नहीं माना **(सिग्मड फ्रायड 1993)**।[5]

समलैंगिकता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

जबसे मानव सभ्यता विकसित हुई है तभी से समलैंगिक सम्बन्धों के उदाहरण देखने को मिलते हैं। प्राचीन काल से लेकर आज तक समलैंगिकता हमारे समाज में एक सामाजिक समस्या के रूप में विद्यमान रही है। प्राचीन धर्म ग्रन्थों में इसका उल्लेख मिलता हैं। समलैंगिक सम्बन्धों को सभी धर्म व्यभिचार पाप मानते हैं किन्तु **वात्स्यायन रचित प्राचीन ग्रन्थ "कामसूत्र"** में इस विषय पर विस्तार से चर्चा की गई है। महादेव शिव का अर्द्धनारीश्वर वाला रूप जिसे आज के शब्दों में **एंडोजिनस सैक्सुअलिटी** कहा जाता है। मिथकीय आख्यान में विष्णु का **मोहिनी रूप** धारण कर शिव को रिझाना महाभारत में **अर्जुन का बृहन्नलता** बनना ऐसे कई समलैंगिकता के उदारण हैं। प्रसिद्ध ग्रन्थ **"मनुस्मृति"** में समलैंगिकता को दण्डनीय माना है। **नारद स्मृति** नामक प्राचीन भारतीय ग्रन्थ में समलैंगिक पुरूषों के विवाहों वर्जित ठहराया है, किन्तू रोम साम्राज्य में राजा नीरों के अपने एक दास के साथ समलैंगिक सम्बन्ध थे। गुप्तकाल में रचित वात्स्यायन के कामसूत्र में निमोछिए चिकने नौकरों मालिश करने वाले नाईयों के साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाने वाले पुरूषों का बखान विस्तार से किया गया है। स्त्रैण गुणों वाले व्यक्तियों को पापी या अपराधी घोषित नहीं किया गया था। स्त्रियों की आपसी रतिक्रिया का भी वर्णन है। खजुराहों, ओडिशा के मन्दिरों की दीवारों पर बनाई गई मूर्तियों पर इसी प्रकार के सम्बन्धों, स्वतन्त्र (खुली) सोच को हम देख सकते हैं। मध्यकाल में सखी भाव वाली परम्पराओं को समलैंगिकता का उदात्तीकरण (उत्थान) की प्रक्रिया ही माना जाता है। पश्चिम में इससे पहले रोम, यूनान वयस्कों, किशोरों के अंतरंग शारीरिक सम्बन्ध समाज में स्वीकृत थे। अंग्रेज इसे **"ग्रीक लव"** कहते थे। फ्रांसीसी इसे **"वाइस आंग्लैस"** (अंग्रेजी ऐब) कहते हैं।

समलैंगिकता का भारतीय धार्मिक परिदृश्य

भारतीय धर्म ग्रन्थों में समलैंगिकता को व्यभिचार, अपराध माना है। विभिन्न धर्मों में समलैंगिकता की मान्यता भी भिन्न–भिन्न है। जैसे– **सिख धर्म** में समलैंगिकता को लिखित मान्यता नहीं दी, किन्तु 2005 में कुछ सिख संगठनों ने समलैंगिकता को अपने धर्म की मान्यता के विरूद्ध बताया। **बौद्ध धर्म** पांच उपदेश देता है जिसमें तीसरे उपदेश में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को यौन दुर्व्यवहार से बचना चाहिए, किन्तु समलैंगिकता यौन दुर्व्यवहार है या नहीं इसकी चर्चा नहीं की है। **हीनयान** पंथ को मानने वाले बौध भिक्षुओं ने समलैंगिकता को यौन दुर्व्यवहार के रूप में नहीं देखा। **ईसाई धर्म** में रोमन कैथोलिक चर्चों के अनुसार समलैंगिक एक विकृत सोच है। समलैंगिक लोगों को पापी बताया, बाईबिल में **Sodom** शहर का जिक्र है। जिसे भगवान ने खुद तबाह किया क्योंकि यहां के पुरूष भगवान द्वारा भेजे गए देव दूतों के साथ बलात्कार कर समलैंगिक सम्बन्ध बनाना चाहते थे। आर्थोडॉक्स चर्च समलैंगिक सम्बन्धों का स्वागत करते हैं, प्रोटेस्टेट चर्च भी समलैंगिकता को मान्यता देते है। **जैन धर्म**, **इस्लाम धर्म** में समलैंगिक सम्बन्धों को मान्यता नहीं दी गई। **हिन्दू धर्म** में समलैंगिक सम्बन्धों के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया गया, समलैंगिक सम्बन्धों को अप्राकृतिक माना, किन्तु यह भी माना कि अप्राकृतिक सम्बन्ध भी प्रकृति का ही एक हिस्सा है। **ऋग्वेद** में समलैंगिक की चर्चा, **"विकृति एवं प्रकृति"** शीर्षक में की गई भगवान अय्यप्पा का जन्म विष्णु और शिव भगवान के मिलन से ही हुआ था। जिसमें शिव स्त्री रूप में हैं। भागीरथ का जन्म भी दो माँओं के मिलन से हुआ। स्त्री–पुरूष सम्बन्धों पर कई ग्रन्थ हिन्दू धर्म में दिखाई देते हैं। जगन्नाथपुरी, कोणार्क, खजुराहों में समलैंगिक सम्बन्धों को दर्शाती हुई

मूर्तियां दे दिखाई दे सकती है, जो यह बताती है कि प्राचीन काल में सभी प्रकार के यौन सम्बन्ध विद्यमान थे। समलैंगिक सम्बन्धों को मान्यता थी इसीलिए इन समलैंगिक प्रेम की मूर्तियों को बनाकर मन्दिरों का हिस्सा बनाया गया।

समलैंगिकता का वैश्विक परिदृश्य

सर्वप्रथम 1811 ई. में नीदरलैण्ड ने समलैंगिक सम्बन्धों को मान्यता दी गई। नीदरलैण्ड ने समलैंगिक विवाहों को 2001 में मान्यता देकर नई पहल की। 114 देश समलैंगिक सम्बन्धों को अपराध नहीं मानते हैं जैसे– ताइवान, ब्राजील, फ्रांस, स्पेन, दक्षिण अफ्रीका, आयरलैण्ड, जर्मनी, स्पेन, डेनमार्क, पुर्तगाल, नार्वे, कनाडा, न्यूजीलैण्ड, आयरलैण्ड इत्यादि ऐसे देश हैं यहां समलैंगिक सम्बन्धों, विवाहों को मान्यता दी है। विश्व के 77 देशों में समलैंगिक सम्बन्धों को अप्राकृतिक, अपराध माना है। जैसे– सऊदी अरब, सूडान आदि। 1972 में ट्रांसजेन्डर को सेक्स परिवर्तन करने की अनुमति देने वाला **स्वीडन** पहला देश था। वर्तमान में 24 देशों में समलैंगिक जोड़ों को मान्यता मिली है।

समलैंगिकता का भारतीय परिदृश्य

भारत भी समलैंगिक सम्बन्धों को मान्यता देने वाला 25वां देश बन गया है। एलजीबीटी (Lesbian, Gay, Bi-Sexual and Transgender) मानवाधिकारवादी कई सरकारी, गैर–सरकारी संगठन, नान फाउंडेशन समलैंगिक सम्बन्धों के अधिकारों के लिए आन्दोलनरत रहे हैं। भारत में समलैंगिक सम्बन्धों को लेकर कई फिल्मों का निर्माण किया गया। जैसे– तमन्ना–1997 में महेश भट्ट ने थर्ड जेंड के प्रति समाज का नकारात्मक रवैयो को दर्शाया। दर्मिया–1977 में बनी इस फिल्म में ट्रांसजेन्डर के दर्द, उनके संघर्ष को बताया। दायरा, माई ब्रदर निखिल, दोस्ताना, फैशन, अलीगढ़, बोम्बे टॉकीज़, कपूर एण्ड सन्स ऐसी कई फिल्में बनी जो समलैंगिक सम्बन्धों के विभिन्न पक्षों को उजागर करती है। I AM-2010 में समलैंगिक सम्बन्धों पर बनी पहली फिल्म थी। जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इस फिल्म के बाद समाज में लोगों के समलैंगिक सम्बन्धों के प्रति जो नकारात्मक विचार थे वह काफी हद तक समाप्त हो गए। दक्षिण भारत में पुराना **LGBTO ग्रुप–ट्रीकोन** है। समलैंगिक परिवारों, दोस्तों का ग्रुप–PFLAG है। समलैंगिक लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए उन्हें वैधानिक दर्जा दिलाने के लिए LGBT नामक समुदाय विश्व स्तर पर एक स्वैच्छिक संगठन के रूप में सक्रिय हैं।

भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 377 एवं समलैंगिक सम्बन्ध

भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 377 प्रकृति विरूद्ध अपराध की बात करता है। पुरूष का पुरूष के साथ, स्त्री का स्त्री के साथ पुरूष या स्त्री या जीव–जन्तु के साथ इन्द्रिय भोग इस धारा के अधीन अपराध है। क्योंकि ऐसा प्रकृति की व्यवस्था के विरूद्ध है। समलैंगिक सम्बन्ध विश्व के कई देशों में विधि सम्मत बना दी गई थी पर भारत में धारा 377 के अधीन दण्डनीय माना गया था **(फजल खाँ चौधरी बनाम राज्य 1983)**।[6] दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 377 को असंवैधानिक ठहराया था। 11 दिसम्बर, 2013 को दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय को अमान्य घोषित किय। दिल्ली उच्च न्यायालय के इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। 28 जनवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक सम्बन्धों को अपराध घोषित करने के फैसले पर पुनः विचार याचिका को खारिज किया। समलैंगिकता पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय विकासशील एवं समावेशी समाज के साथ अन्याय प्रतीत होता है, क्योंकि यह व्यक्तिगत आजादी के साथ–साथ संविधान के उदार–मूल्यों और आज के दौर ही आधुनिक भावना के साथ जुड़ा हुआ है। न्यायालय **लिव इन रिलेशनशिप** की प्रवृत्तियों को भी मान्यता दे चुके हैं **(नान फाउन्डेशन बनाम सरकार2010)**।[7] धारा 377 की संवैधानिकता के सम्बन्ध में विचार करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि यह धारा व्यक्ति की गरिमा को वंचित करती है, उसके सारभाग पहचान को अकेले लैंगिकता के आधार पर अपराधिकृत करती है। इस प्रकार यह संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करती है। यह धारा समलैंगिक व्यक्तियों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व,

अधिकारों को वंचित करती है। जो अनुच्छेद 21 के अधीन प्राण की धारणा में अन्तर्निहित हैं। समलैंगिक रोग या विकार नहीं है। यह मानव लैंगिकता की मात्र एक अन्य अभिव्यक्ति है, लोक नैतिकता के आधार पर वयस्कों के मध्य सम्मति से बनाये गये लैंगिक कार्यों पर नियंत्रण करने के लिए धारा 377 को बनाये रखा नहीं जा सकता है। पुरूष को पुरूष के साथ लैंगिक सम्बन्ध बनाते हैं, समलैंगिक समुदाय के विरूद्ध धारा 377 के अधीन विभेदीकरण होता है, यह अनुचित अयुक्तियुक्त है। इस धारा से भारतीय संविधान का **अनुच्छेद 14, 15, 21** का उल्लंघन होता है। केन्द्र सरकार, गैर–सरकारी संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय में पुनः विचार की अपील की थी। जिसके परिणामस्वरूप जनवरी 2018 में सर्वोच्च न्यायालय समलैंगिक सम्बन्धों को वैध घोषित करने वाली याचिका पर पुनः विचार करने के लिये तैयार हुआ। **6 सितम्बर 2018** सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस नरीमन, खानाविलकर, चंद्रचुड़, इंदू मल्होत्रा की संविधान पीठ ने भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 377 के प्रावधानों को रद्द करते हुए कहा कि दो बालिगों के बीच निजी तौर पर बनाए गए समलैंगिक सम्बन्ध अपराध नहीं हैं।** संविधान पीठ ने 158 साल पुरानी दण्ड संहिता 1860 (1861 को लागू) की धारा 377 को अतार्किक मनमाना करार देते हुए निजी पसंद को सम्मान देने की बात कही अदालत ने कहा भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 377 गरिमा के साथ जीने के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने नैतिकता, सामाजिकता के खिलाफ जाकर समलैंगिक सम्बन्धों को अपराध की श्रेणी से बाहर निकाला। सुप्रीम कोर्ट का समलैंगिक सम्बन्धों के पक्ष में दिया गया निर्णय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 का संरक्षण करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भगवती जी ने यह निर्णय दिया था कि समता एक गतिशील धारणा है जिसके अनेक रूप, आयाम हो सकते हैं। इसे परम्परागत सिद्धान्तवाद की सीमाओं से नहीं बाँधा जा सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 राज्य की कार्यवाहियों में मनमानेपन को वर्जित करती है समान व्यवहार की अपेक्षा करती है (ई.पी. रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य 1974), (मेनका गाँधी बनाम भारत संघ 1978), (डी.एस. नकारा बनाम भारत संघ 1983)।[8] भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक मानव को गरिमा, निजता, एकान्तता, दैहिक स्वतन्त्रता के साथ जीने का अधिकार देता है, ऐसा निर्णय उच्चतम न्यायालय ने लिया था इसी को आधार मानकार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14, 15, 21 को उल्लंघन न हो भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 377 में समलैंगिकता को अपराध नहीं माना (मेनका गाँधी बनाम भारत संघ 1978), (फ्रेन्सीस कोरेली बनाम भारत संघ 1981)।[9]

निष्कर्ष

कोर्ट ने ट्रांसजेन्डर्स और समलैंगिक सम्बन्धों विवाह के अधिकारों को सुरक्षित करने हेतु कई महत्त्वपूर्ण निर्णय दिए हैं। अधिनियम बनाए हैं जिसमें ट्रांसजेन्डर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2016 है। राजस्थान राज्य के जयपुर नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने स्वीकृति दी है, कि ट्रांसजेन्डर के लिए सरकारी योजनाओं में 2 प्रतिशत भूखण्ड सुरक्षित रखा जाए (राजस्थान पत्रिका 21 जुलाई, 2020)।[10] सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक सम्बन्धों, विवाह के अधिकारों को सुरक्षित किया है ताकि समलैंगिकता को भी समाज में सम्मान मिले, हीन भावना समाप्त हो, अपनी पहचान बताने में शर्म महसूस न करें। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक सम्बन्धों को अपराध नहीं माना, बल्कि अधिकारों को सुरक्षित किया है, किन्तु अभी तक वैधानिक दर्जा नहीं दिया है। भारतीय समाज में ऐसे सम्बन्धों को वैधानिकता देना भारतीय संस्कृति, सभ्यता, परम्परा, प्रथा, नातेदारी, रक्त सम्बन्ध, परिवार, विवाह, संस्कारों, नैतिकता के खिलाफ है। प्रत्येक व्यक्ति के पास समान अधिकार, विशेषाधिकार है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से एलजीबीटी (Lesbian, Gay, Bi-Sexual and Transgender) समुदाय संख्या की दृष्टि से कम है, किन्तु सामाजिक विविधता की दृष्टि से अति विशिष्ट, महत्त्वपूर्ण स्थान है। समाज के लोगों द्वारा इन समुदायों को सहजता से स्वीकारना कठिन है। यह नैतिकता का पतन करता है। यह सत्य है कि समानता, स्वतन्त्रता प्रत्येक व्यक्ति को मिलनी चाहिए, किन्तु इस प्रकार हो जिससे सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक जीवन नैतिकता का पतन ना हो। समलैंगिकता का विषय अत्यधिक चिंताजनक, गम्भीर है। इस समुदाय का गहनता से अध्ययन करना अति आवश्यक है। एलजीबीटी के प्रति समाज की दकियानुसी सोच, नजरिये को समाप्त किया जाए। यौन शिक्षा कार्यक्रमों में एलजीबीटी के मुद्दों को शामिल किया जाए।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. हरदयाल मुंशी (2010): रिपोर्ट मरदुमशुमारी राजमारवाड़– जोधपुर, मानसिंह पुस्तक प्रकाशन शोध केन्द्र।
2. त्रिपाठी, लक्ष्मीनारायण (2015) : मी हिजड़ा मी लक्ष्मी, इंडिया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी।
3. ओकले अन्न (1917) : सेक्स, जेण्डर एण्ड सोसायटी
4. ओकले अन्य (1974) : हाउस वाइफ एलेन, लेन लंदन पृ.सं. 68
5. गिडिंग्स एन्थोनी (2001) : सोशियोलॉजी, लंदन पालिटी प्रेस
6. Freud Sigmund (1993) : New Introduction Lecture on Psychoanalysis, Newyork, W.W. Norton and Co.Ch.111
7. फज़ल खाँ चौधरी बनाम राज्य ए.आई.आर. 1983 एस.सी. 323
8. नान फाउन्डेशन बनाम सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 2010 क्रि.एल.जे. 94 (दिल्ली)
9. ई.पी.रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य ए.आई.आर. 1974 एस.सी. 597
10. मेनका गाँधी बनाम भारत संघ ए.आई.आर. 1978 एस.सी. 507
11. डी.एस. नकारा बनाम भारत संघ ए.आई.आर. 1983 एस.सी. 130
12. फ्रेन्सीस कोरेली बनाम भारत संघ ए.आई.आर. 1981, एस.सी. 746
13. राजस्थान पत्रिका : 21 जुलाई 2020 पृष्ठ संख्या 5

❖◆❖